

महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
(प्रशासन निदेशालय : प्रशा0-1 अनुभाग)

पत्रांक: 43/बावा/2013/-1192-492

दिनांक-10 मई, 2013

'अंकुर प्ले स्कूल' के लिए जारी की गई स्थाई प्रचालन कार्यविधि (एस.ओ.पी.) में आंशिक संशोधन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र संख्या 43/बावा/2013/7089-7390 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित वित्त एवं प्रशासनिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है:-

- (क) यूनिफार्म (Shirt - Sky blue & Pant/Short - Navy blue), आई.कार्ड तथा अन्य इक्यूपमेंट इत्यादि का नमूना संबंधित फंटियर/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं निर्धारित किया जा सकता है।
- (ख) बच्चों से ली जाने वाली फीस के मानदंडों का निर्धारण स्कूल को स्व:संपोषित करने (self sustained) एवं अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित फंटियर/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं किया जा सकता है।
- (ग) पाठ्यक्रम के मानदंडों का निर्धारण भी संबंधित फंटियर/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ही किया जाए तथा इसके लिए कश्मीर फंटियर के 'अंकुर प्ले स्कूल' में प्रयोग में लाए जा रहे syllabus/innovative ideas (जिन्हें दिनांक 29/4/13 को IPP पर अपलोड किया गया है।) से guideline ली जा सकती हैं।

*For
1192/492
cc/877/8*

14/5/13
 50/1115

(जे० सी० सिंगला)
 उप महानिरीक्षक(कल्याण)

वितरण :-

i)	उप कमांडेंट (बावा)	:	महानिदेशक महोदय एवं 'अध्यक्षा बावा' के सूचनार्थ।
ii)	विशेष महानिदेशक के निजी सचिव	:	विशेष महानिदेशक महोदय एवं 'वरिष्ठ उपाध्यक्षा बावा' के सूचनार्थ।
iii)	अपर महानिदेशक (एच) एवं (बी) के निजी सचिव	:	अपर महानिदेशक महोदय एवं 'उपाध्यक्षा बावा' के सूचनार्थ।
iv)	मुख्यालय विशेष महानिदेशक मुख्यालय (पूर्व) एवं (पश्चिम)	:	वास्ते सूचनार्थ।
v)	महानिरीक्षक (प्रशा0) के निजी सहायक	:	महानिरीक्षक महोदय एवं 'सचिव बावा' के सूचनार्थ।

vi)	सभी फ्रंटियर मुख्यालय {महानिरीक्षक(मुख्यालय) सहित} / सभी सेक्टर मुख्यालय {उप महानिरीक्षक(मुख्यालय) सहित} / सभी बटालियन / सभी प्रशिक्षण संस्थान {एस.टी.एस. एवं एस.टी.सी. सहित}	:	बी.ओ.पी. / एफ.डी.एल. स्तर तक जवानों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार करते हुए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
vii)	सीसुबल महानिदेशालय के सभी निदेशालय {सिगनल रेजिमेंट / एस. आई. डब्ल्यू. / एस.आर.ओ. / आर्टी मुख्यालय एवं आर्टी रेजिमेन्ट्स / वायु विंग / वाटर विंग / ई.डी.पी., आई.टी. विंग सहित}	:	कार्मिकों की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार करते हुए इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
viii)	उप महानिरीक्षक (प्रशा0) एवं (कल्याण) के निजी सहायक	:	उप महानिरीक्षक (प्रशा0) एवं (कल्याण) महोदय के सूचनार्थ।
ix)	उप महानिरीक्षक (आई.टी.) बल मुख्यालय, सीसुबल	:	फील्ड फॉरमेशन्स में व्यापक प्रचार हेतु आई0पी0पी0 एवं सीसुबल वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
x)	टू.आई.सी. (प्रशा0) / उप कमांडेंट (कल्याण) एवं (बावा)	:	वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
xi)	प्रशासन निदेशालय के सभी अनुभाग	:	वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
xii)	'प्ले स्कूल' सब कमेटी Mrs. Renu Sharma, w/o Shri K K Sharma, ADG Takenpur, 1-D, Osho Drive, Gadarpur Ext, Mandi Road, Mehrauli-110030	:	वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।